न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–139 सन् 2019

पानपति देवी............................वादी।

बनाम

सोनेलाल पासवान वगैरह............................प्रतिवादीगण।

दिनांक–25.10.2024

उभय पक्ष अनुपस्थित है उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 04.05.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 03 राम विराज पासवान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 19.04.2024 को अपने कानूननी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 03 राम विराज पासवान का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 राम विराज पासवान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 19.04.2024 को अपने कानूननी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक–04.05.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।